फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अशोक कुमार बनाम बद्रीनारायण वगै0

केस संख्या : बाजदायरी प्रा.पत्र 02/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	08.05.2024	पत्रावली बाजदायरी प्रस्तुत। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी अधिवक्ता श्री एन.के यादव उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अभिवचन किया की, पत्रावली दिनांक 22.03.2024 आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2024 मुकरर की गई दिनांक 02.05.2024 को वादी अधिवक्ता ने पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही बाबत पत्रावली नही मिली तथा अन्य पत्रावली दास्त अरथाई निषेधाज्ञा मौजुद मिली। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के अधिवक्ता एक पत्रावली में उपस्थिति होना तथा दुसरी पत्रावली में अनुपस्थति होने के फर्द अहकाम तस्दीक हुई है। प्रार्थी ने पैरवी करने मे जानबुझकर कोई लापरवाही एवं उदासीनता नही बरती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र पुनः नम्बर पर लिया जावे। पत्रावली व प्रार्थी द्वारा किये कथनो का अवलोकन किया गया। चुकी प्रकरण घोषणा का वाद है और प्रकरण प्रारम्भिक अवस्था में ही विचारणीय है, तथा मामला गम्भीर प्रकृति का भी नही है। प्रकरण में प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित रहे है। फलस्वरूप न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद वाद संख्या 97/2022 बउनवानी अशोक बनाम बद्रीनारयण पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है इस संबंध में प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी किये जावे। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithles
Date: 2024.09.09 12:42:0
Reason: SelfAttested